UPSI010037632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 690/2026

सी.आई.एस. नं.–1627/2026

शिव पूजन शुक्ला उम्र 29 वर्ष पुत्र रमेश शुक्ला निवासी ग्राम बंगरहा मजरा ईरापुर सुतौली थाना रेउसा जिला सीतापुर। आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। अभियोजक।

मु0अ0सं0:132/2026
धारा : 190,191(2),191(3)115(2), 117(2),351(2),109(1) बी.एन.एस
थाना : रेउसा
जिला : सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0132/2026 अर्न्तगत धारा 190,191(2),191(3)115(2),117(2), 351(2),109(1) बी.एन.एस थाना रेउसा जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त शिव पूजन शुक्ला की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) एवं वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता हरीश कुमार शुक्ल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि प्रार्थी राहुल अवस्थी पुत्र सतीश कुमार नि० ग्राम बंगरहा मजरा ईरापुर सुतौली थाना रेउसा सीतापुर का मूल निवासी है कि दिनांक 21.04.2026 को समय शाम करीब 8.30 बजे प्रार्थी के बड़े भाई संदीप अवस्थी, व दिनेश अवस्थी तथा गाँव के ही किशोरी धोबी पुत्र मुरली धोबी के साथ गाँव के ही एक शादी समारोह मे सम्मिलित होने पैदल जा रहे थे तभी पूर्व में बच्चो की कहासुनी की रंजिश मे घात लगाकर जान से मारने की नीयत से बैठे विपक्षी विनय शुक्ला पुत्र नागेन्द्र शुक्ला, आशीष शुक्ला पुत्र ओम प्रकाश शुक्ला, अनूप शुक्ला पुत्र मुनीम शुक्ला, रमेश शुक्ला पुत्र गोविन्द शुक्ला, शिवपूजन शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला, निवासीगण ग्राम वंगरहा मजरा ईरापुर सुतौली व कई अज्ञात व्यक्तियो द्वारा एक राय होकर तलवार बाँका काँटा बल्लम व लाठी डन्डो से उसके भाईयो के ऊपर हमला कर दिया जिसमे प्रार्थी के भाईयो के सिर पर तेज धारदार हथियारो से कई जानलेवा वार किये गये जिसमे प्रार्थी के भाई दिनेश अवस्थी की गर्दन व सिर पर काफी गम्भीर चोटे आई तथा हाँथ भी टूट गया वही संदीप अवस्थी को जान से मारने की नियत से सिर पर व गर्दन पर तेज धारदार हथियारो से कई वार किये गये जिससे मौके पर ही खून से लथपथ

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.06.06 17:20:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP

होकर अचेत होकर गिर गये जिनकी हालत गम्भीर बनी हुई है बीच बचाव करने पर उपरोक्त विपक्षियो के द्वारा किशोरी धोबी को भी लाठी डन्डो व धारदार हथियारो से मार कर लहुलुहान करते हुए शरीर की कई हड्डिया तोडकर मरणासन्न कर दिया शोर शराबा सुनकर परिजन व आसपास के लोग जब पहुंचे तो उपरोक्त विपक्षियो ने उन पर भी हमला बोल दिया मारने पीटने के बाद संदीप अवस्थी को मरा हुआ समझकर उपरोक्त विपक्षी पूरे परिवार को जान से मार डालने की एलानिया धमकी देते हुए मौके से चले गये। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना रेउसा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में प्रधानी की चुनावी रंजिश व पार्टीबंदी के कारण झूठे व असत्य तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। दिनांक 21–4–2026 को समय करीब 5 बजे प्रार्थी/अभियुक्त के घर की पुत्रियों काजल व चांदनी व पुत्र रविकांत को पुरानी रंजिश के कारण संदीप अवस्थी उर्फ शिवम अवस्थी ने काफी मारा पीटा जिसकी तत्काल सूचना 112 पुलिस को दी गयी, जिस पर 112 पुलिस आयी व दोनों पक्षकारों को डांट डपट कर चली गयी, पुलिस के जाने के बाद संदीप अवस्थी व उनके साथीगण ने एकराय होकर अवैध असलहा, लाठी, डण्डा व कांता बॉका से लैस होकर जान माल की धमकी व हत्या करने की धमकी देते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के घर की तरफ आ गये व प्रार्थी के पिता नागेन्द्र पर प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। प्रार्थी/अभियुक्तगणों ने घटना की पहल व मारपीट की पहल नहीं की बल्कि घटना की पहल संदीप व उनके साथियों ने की। उनके द्वारा केवल आत्म रक्षा हेतु हो रहे प्रहारों का बचाव किया। संदीप व उनके सहयोगीगणों द्वारा एकराय होकर अत्यधिक तेजी से किये जा रहे प्रहारों की चोटें संदीप व उनके पक्ष को भी आयी. जिससे वह लोग भी चोटहिल हो गये। प्रार्थी/अभियुक्तगणों ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रेउसा में लिखवाई म0अ0सं0133/2026 जिसमे घटना कारित करने का समय शाम 5.30 बजे अंकित है। वादी मुकदमा ने स्वयं घटना में अग्रसर होकर प्रार्थी/अभियुक्त के घर के पास आकर पुनः घटना कारित की जिसकी प्रमाणिकता नक्शा नजरी से की जा सकती है। प्रार्थी/अभियुक्तगणों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया गया। केवल अपना बचाव किया गया है। उपरोक्त वाद में चोटों की प्रकृति 109 (1) बी०एन०एस० की परिधि की नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा को पूर्व रंजिश को लेकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से तलवार, बॉका, काटॉ, बल्लम व लाठी डण्डा से लैस होकर मारने पीटने तथा गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने तथा मारपीट में वादी मुकदमा के भाई दिनेश अवस्थी की गर्दन व सिर पर गम्भीर चोटे आने एवं संदीप अवस्थी को जान से मारने की नियत से सिर पर व गर्दन पर तेजधार हथियार से वार किये जाने से मौके पर बेहोश होने तथा बीच बचाव किये जाने पर किशोरी धोबी को लाठी डण्डो व धारदार हथियारो से मारकर लहुलुहान कर हडिडया तोड़कर मरणासन्न किये जाने

आने का आरोप है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के दौरान केस डायरी पर मजरूब संदीप अवस्थी की डिस्चार्ज समरी के अनुसार फ्रंटोटेम्पोरोपैराइटल (एफटीपी) भाग में रक्तश्रावी चोट पायी जाने जिसे आपरेशन के द्वारा निकाले जाने का उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी में कथित घटना में प्रयुक्त डण्डा अभियुक्त की निशादेही पर बरामद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त की घटना में विशिष्ट भूमिका का भी उल्लेख है। प्रश्नगत मामले के सम्बंध में क्रास केस होने तथा वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना में अग्रसर होकर घटना कारित किये जाने का तर्क दिया गया है। उक्त तर्क साक्ष्य का विषय है जो कि इस स्तर पर विचारणीय नही है। ऐसी स्थिति में अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बगैर गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शिवपूजन शुक्ला द्वारा मु0अ0सं0132/2026 अर्न्तगत धारा 190,191(2),191(3)115(2),117(2),351(2),109(1) बी.एन.एस थाना रेउसा जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 06.06.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.